तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज अपील संख्या 46/20 हुर्रा बनाम राज0 सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुये
5.9.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट उपस्थित नहीं और ना ही उनकी ओर से कोई वकील अथवा प्रतिनिधि उपस्थित आये। अपीलान्टस को कई बार आवाजे दिलवायी गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जहिर है कि यह पत्रावली भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के पत्रांक 834 दिनांक 8.1.20 से इस न्यायालय को प्राप्त हुई । इस न्यायालय में नियमानुसार पत्रावली दर्ज कर विचाराधीन रही। दिनांक 24.9.20 से 1.8.23 तक वकील अपीलान्ट प्रकरण में निरन्तर उपस्थित रहे है । अचानक गतादेशिका दिनांक 1.8.23 की रोशनी में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में पैरवी से इन्कार करते हुये कोई सूचना अथवा हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया गया। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट की कोताही से किसी हितबद्ध पक्षकार के हित प्रभावित न हो इसी न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की न्यायिक मंशा के मध्यनजर अपीलान्टस को कार्यालय स्तर से आदेशिका दिनांक 1.8.23 की रोशनी में रजिस्टर्ड नोटिस क्रमांक 768 दिनांक 2.8.23 जारी किये गये, जिस पर अपीलान्ट का फौत होना अंकित किया हुआ प्राप्त हुआ है। इस प्रकरण को न्यायालय हाजा में दर्ज हुये लगभग 3–4 साल का एक लम्बा अर्सा व्यतीत हो चुका और अचानक दिनांक 1.8.2023 को उनके वकील के द्वारा पैरवी से इन्कार किया गया। इस पर कार्यालय स्तर से उनको नोटिस भी जारी किये गये । तो अपीलान्ट के फौत की सूचना प्राप्त हुई है। स्वयं अदालत हाजा द्वारा काफी प्रयास किये जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई प्रतिनिधि का नियत दिनांक को उपस्थित नहीं आना, अपीलान्टस की ओर से या उनके वकील के द्वारा न्यायिक प्रकियाओं की पूर्ति हेतु दायित्वों का निर्भहन नहीं करने से इस अपील को आगे चलाने का अब कोई औचित्य नहीं रहता है। अपीलान्ट का फौत होना व उनके वकील का पैरवी से इन्कार किये जाने के कारण यह अपील बिना गुणावगुण पर विचार किये इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। 5.9.2023 संभागीय आयुक्त भरतपुर	